



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1528]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 2018/चैत्र 30, 1940

No. 1528]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 2018/CHAITRA 30, 1940

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2018

का.आ.1682(अ).—भारत पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 (1992 का 34) के खंड 3, उपखंड(1) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्य के रूप में श्री विनय दिनु तेंदुलकर, सांसद, राज्य सभा को नियुक्त करती है तथा इस उद्देश्य से आगे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की दिनांक 15 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1509(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, क्र. सं. (25) और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः —

“(25) श्री विनय दिनु तेंदुलकर,
सांसद, राज्य सभा,
सी-302, स्वर्ण जयन्ती सदन,
डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली

— सदस्य”

[फ. सं. 29-8/2016-एन आई]

डौली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan))

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2018.

S.O. 1682(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Central Government hereby appoints Shri Vinay Dinu Tendulkar, Member of Parliament, Rajya Sabha, as member in the Rehabilitation Council of India, and for that purpose, makes further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of

